

[Hindi Version](#)[Home](#)

**HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA), JAN. 27, 2003
(MARCH 7, 1924 SAKA)**

PART I

LEGISLATIVE DEPARTMENT

Notification

The 27th January, 2003

No. Leg. 1/2003: -The following Act of the Legislature of the State of Haryana received the assent of the President of India on the 6th January, 2003, and is hereby published for general information:-

Haryana Act No. 1 of 2003

THE HARYANA LOKAYUKTA ACT, 2002

AN

ACT

*to provide for the appointment and functions of a Lokayukta
for inquiry and investigation into the allegations and
grievances against public servants and for
matters connected therewith.*

BE it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Fifty-third Year of the Republic of India as follows: -

Short title, Extent and Commencement

1. (1) This Act may be called the Haryana Lokayukta Act, 2002.
- (2) It extends to the whole of the State of Haryana.
- (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "act" means administrative action taken by a public servant by way of decision, recommendation or finding or in any other manner and shall include willful failure to act, and all other expressions relating to such action shall be construed accordingly;

(b) "allegation" in relation to a public servant means any affirmation that such public servant-

- (i) has knowingly and intentionally abused his position as such to obtain any undue gain or favour to himself or to any other person or to cause undue hardship or harm to any other person;
 - (ii) was actuated in the discharge of his functions as such public servant by personal interest, or improper or corrupt motives;
 - (iii) is guilty of corruption, lack of integrity in his capacity as such public servant; or
 - (iv) is in possession of pecuniary resources or property disproportionate to his known source of income and such pecuniary resources or property held by the public servant personally or by any member of his family or by some other persons on his behalf;
- (c) "Chief Minister" means head of the Council of Ministers;
- (d) "competent authority" in relation to a complaint against-
- (i) Chief Minister : The Governor in his discretion;
 - (ii) All other Public Servants: Chief Minister;
- (e) "complaint" means a complaint wherein act of any allegation or grievance is alleged to have been committed by a public servant;
- (f) "corruption" includes any act punishable under chapter IX of the Indian Penal Code, 1860 or the Prevention of Corruption Act, 1988, or under any law for the time being in force for prevention of corruption;
- (g) "Governor" means the Governor of the State of Haryana;
- (h) "grievance" means the claim by a person that a right to which he is entitled to is denied to him or is unreasonably delayed by the act of omission or commission of a public servant or the act complained of amounts to mal-administration;
- (i) "Lokayukta" means a person appointed as a Lokayukta under section 3;
- (j) "mal-administration" means an act, which is unjust, unfair, unreasonable, oppressive, improperly discriminatory or not supported by law;
- (k) "Minister" means a member of the Council of Ministers, other than the Chief Minister by whatever name called, for the State of Haryana, that is to say, Cabinet Minister, Minister of State, Deputy Minister and shall also include the Chief Parliamentary Secretary and Parliamentary secretary;
- (l) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- (m) "public servant" includes a person defined in section 21 of the Indian Penal Code, 1860 and also means a person, who is or has been-
- a. Chief Minister;
 - b. a Minister;
 - c. a Member of the Legislative Assembly of Haryana including the Speaker and the Deputy Speaker of Haryana legislative Assembly;
 - d. a Chairman, Vice-Chairman or member of the Board of Directors, by whatever

name called, of a Government company within the meaning of section 617 of the Companies Act, 1956, in which not less than fifty-one percent of the paid up share capital is held by the State Government.

- e. a Chairman, Vice-Chairman or member, by whatever name called, of any statutory or non-statutory body incorporated, registered or constituted by the State Government.
 - f. a Mayor, Senior Deputy Mayor, Deputy mayor of a Municipal Corporation constituted or deemed to have been constituted by or under the Haryana Municipal Corporation Act, 1994;
 - g. a President, Vice-President of a Municipal Committee or Municipal Council constituted or deemed to have been constituted by or under the Haryana Municipal Act, 1973;
 - h. a President, Vice-President of a Zila Parishad and a Chairman, Vice-Chairman of a Panchayat Samiti constituted by or under the Haryana Panchayati Raj Act, 1994;
 - i. a President or Vice-President of any managing committee of a society incorporated or registered under the law relating to cooperative societies for the time being in force;
 - j. a President, Vice-President, Managing Director of the Board of Directors of such other cooperative societies incorporated or registered by or under law relating to cooperative societies for the time being in force;
 - k. a Vice-Chancellor or a pro Vice-Chancellor or Registrar of a University;
- (n) "State" means the state of Haryana;
- (o) "State Government" means the Government of the State of Haryana.

Appointment of Lokayukta

3. (1) For the purpose of conducting investigations in accordance with the provisions of this Act, the Governor shall, by warrant under his hand and the seal, appoint a person to be known as the Lokayukta:

Provided that the Lokayukta shall be appointed on the advice of the Chief Minister who shall consult the Speaker of Haryana Legislative Assembly, Leader of Opposition and the Chief Justice of India in case of appointment of a person who is or has been a Judge of the Supreme Court or Chief Justice of the High Court, and the Chief Justice of the Punjab and Haryana High Court in case of appointment of a person who is or has been a Judge of a High Court:

Provided further that the result of consultations shall have persuasive value but not binding on the Chief Minister.

(2) A notification by the State Government about the consultation having been held as envisaged in sub-section (1) shall be conclusive proof thereof.

(3) Every person appointed as the Lokayukta shall, before entering upon his office, make and subscribe, before the Governor, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation in the form set out for the purpose in the Schedule.

Qualifications for Lokayukta

4. A person shall not be qualified for appointment as Lokayukta unless he is or has been a Judge of the Supreme Court or a Chief Justice or a Judge of a High Court in India.

Lokayukta to hold no other Office

5. The Lokayukta shall not be a member of Parliament or member of Legislature of any State and shall not hold any office of profit or trust or carry on any business or practice any profession or be connected with any political party and accordingly, before he enters upon his office shall-

- (a) if he is a member of Parliament or of the Legislature of any State, resign such membership; or
- (b) if he holds any office of profit or trust, resign from such office; or
- (c) if he is connected with any political party, sever his connection in it; or
- (d) if he is carrying on any business, sever his connection (short of divesting himself of ownership) with the conduct and management of such business; or
- (e) if he is practicing any profession, suspend practice of such profession.

Term of Office and other conditions of service of Lokayukta

6. (1) Every person appointed as the Lokayukta shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office:

Provided that-

- (a) the Lokayukta may, by writing under his hand addressed to the Governor, resign his office, and such resignation shall be effective as soon as it is accepted; and
- (b) the Lokayukta may be removed from the office in the manner specified in section 7.

(2) A vacancy occurring in the office of the Lokayukta shall be filled in within three months.

(3) On ceasing to hold office, the Lokayukta shall be ineligible for reappointment as Lokayukta or any other employment in any capacity under the State Government or any local authority, cooperative society, government company, university, statutory corporation under the administrative control of the State Government.

(4) The salary, allowances payable to, and other conditions of service of Lokayukta shall be same as may be available from time to time to a sitting Judge of the Supreme Court or Chief Justice or Judge of the High Court, as the case may be, in accordance with the office held by him:

Provided that the salary, allowances and other privileges available to the Lokayukta shall not be negotiable:

Provided further that the allowances payable and other conditions of service of the Lokayukta shall not be varied to his disadvantage after his appointment.

(5) The salaries and allowances payable to, or in respect of, the Lokayukta shall be the expenditure charged on the Consolidated Fund of the State.

Removal of Lokayukta

7. (1) The Lokayukta shall not be removed from his office except by an order of the Governor passed after an address by the Haryana Legislative Assembly, supported by a majority of the total membership of the Legislative Assembly and by a majority of not less than two-thirds of the members thereof, present and voting, has been presented to the Governor in the same session for such removal on the grounds of proved misconduct or incapacity.

(2) The procedure for the presentation of an address and for the investigation and proof of the misconduct, or incapacity of the Lokayukta under sub-section (1) shall be as provided in the Judges (Inquiry) Act, 1968, in relation to the removal of a Judge and, accordingly, the provisions of that Act shall, subject to necessary modifications, apply in relation to the removal of the Lokayukta as they apply in relation to the removal of a Judge.

Matters which may be inquired into by Lokayukta

8. (1) Subject to the provisions of this Act, the Lokayukta may on receipt of a reference from Government proceed to inquire into the allegations or the grievances made against a public servant.

(2) The Lokayukta may inquire into any act or conduct of any person other than a public servant in so far as he considers it necessary so to do for the purpose of his enquiry into any allegation of misconduct against a public servant provided that the Lokayukta shall give such a person reasonable opportunity of being heard and to produce evidence in his defence.

9. The Lokayukta shall not inquire into any matter -

- (a) in respect of which an inquiry has been ordered under the Public Servants (Inquiries) Act, 1850; or
- (b) which is not connected with the discharge of functions as public servant of the person against whom allegation is made; or
- (c) relating to "grievance of mal-administration", any administrative act involving the exercise of discretion except where he is satisfied that the elements involved in the exercise of discretion were absent to such an extent that discretion would not be regarded as having been properly exercised or was exercised for corruption.

Provisions relating to complaints

10. (1) Subject to the provisions of this Act, a complaint may be made under this Act to the Lokayukta -

- (a) in case of grievance by the person aggrieved;
- (b) in case of allegation by any person;
- (c) Provided that where the person aggrieved is dead or, is for any reason, unable to act for himself the complaint may be made by any person who in law represents his estate or, as the case may be, by any person permitted to act on his behalf.

(2) Every complaint involving an allegation or grievance shall be made in such form, and in such manner and shall be accompanied by such affidavit as may be prescribed.

(3) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, any letter written to the Lokayukta by a person in police custody or in a jail or in any asylum or any other custodial place, shall be forwarded to the Lokayukta unopened and without delay by the police officer or the person in charge of such jail, asylum or any other custodial place. If the Lokayukta is satisfied, that it is

necessary so to do, treat such letter as a complaint made in accordance with the provisions of sub-section (2).

Provisions for holding preliminary inquiry.

11. The Lokayukta on receipt of a complaint may before proceeding to investigate such complaint or case, make such preliminary inquiry or direct any other person to make such preliminary inquiry as he deems fit for ascertaining whether there exists reasonable ground for conducting the investigation. If on such preliminary inquiry, he finds that there exists no such ground he shall record a finding to that effect that thereupon the matter shall be closed and the complainant shall be informed accordingly.

Procedure in respect of inquiry

12. (1) Subject to the provisions contained in sub-section (2), the Lokayukta shall devise his own procedure for conducting inquiry or investigation but in so doing shall ensure that the principles of natural justice are satisfied.

(2) The Lokayukta shall complete the inquiry within one year.

(3) Every inquiry under the Act shall, unless the Lokayukta for reasons to be recorded in writing determines otherwise, be conducted in camera.

Power to summon record

13. The Lokayukta shall have the power to summon record of the State Government, local authority, corporation, government company, society, university, any college affiliated to or constituent of a university or from any other persons in connection with any inquiry or investigation against public servant undertaken by him:

Provided that the State Government may withhold the production of any record or document relating to affairs of the State on grounds of security or in public interest in accordance with the provisions of the Indian Evidence Act, 1872, or the Indian Official Secrets Act, 1923.

Evidence

14. (1) Subject to the provisions of this section, for the purpose of any inquiry or investigation, the Lokayukta or any person authorized by him in this behalf: -

- (a) may require any public servant or any other person, who, in his opinion, is able to furnish information or produce documents relevant to such inquiry, to furnish any such information or produce any such document;
- (b) may enter upon any land and survey, demarcate or prepare a map of the same;
- (c) shall have all the powers of civil court while trying a suit under Code of Civil Procedure, 1908, in respect of the following matters, namely:-
 - (i) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
 - (ii) requiring the discovery and production of any document;
 - (iii) receiving evidence on affidavits;
 - (iv) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office; and
 - (v) issuing commissions for the examination of witnesses or documents:

Provided that no person, without the prior permission of the appropriate Government shall be required or authorised by virtue of the provisions contained in this Act to furnish any such information or answer any such question or produce so much of any document as might involve the disclosure of any information or production of any documents which is punishable under the provisions of the Official Secrets Act, 1923.

(2) Any proceeding before the Lokayukta shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of section 193 and section 228 of Indian Penal Code, 1860.

Power for search and seizure

15. (1) Where in consequence of information in his possession or after such inquiry as he thinks necessary, the Lokayukta: -

(a) has reason to believe that a person-

(i) to whom a summons or notice under this Act, has been or might be issued, will not or would not produce or cause to be produced any property, document or thing which will be necessary or useful or relevant to any inquiry or other proceedings to be conducted by him;

(ii) is in possession of any money, bullion, jewellery, or other valuable article or thing and such money, bullion, jewellery or other valuable article or thing represents either wholly or partly income or property which has not been disclosed to the authorities for the purpose of any law or rule in force which requires such disclosure to be made; or

(b) considers that the purposes of any inquiry or other proceedings to be conducted by him will be served by a general search or inspection,

may issue a search warrant and he or any person authorised by him may, by that search warrant-

(I) enter and search any building or place where he has reason to suspect that such property, document, money, bullion, jewellery or other valuable article or thing is kept;

(II) break open the lock of any door, box, locker, safe, almirah or other receptacle for exercising the powers conferred by sub-clause

(i) where the keys thereof are not available;

(III) seize any such property, document, money, bullion, jewellery or other valuable article or thing found as a result of such search;

(IV) place a mark of identification on any property or document or make or cause to be made extracts or copies therefrom; or

(IV) make a note or an inventory of any such property, document, money, bullion, jewellery or other valuable article or thing.

(2) The provisions of section 100 of the Code of Criminal Procedure, 1973, shall, so far as may be, apply to searches under sub-section (1).

(3) A warrant issued under sub-section (1) shall, for all purposes, be deemed to be a warrant issued by a court under section 93 of the Code of Criminal Procedure, 1973.

Punishment for false and malicious complaints

16. Notwithstanding anything contained in this Act, any person who wilfully or maliciously makes any false complaint under this Act, shall, on conviction, be punished with rigorous imprisonment which may extend to three years or with fine which may extend to ten thousand rupees or with both and the court may

order that out of the amount of fine, such sum as it may deem fit, be paid by way of compensation to the person against whom such complaint was made:

Provided that no court shall take cognizance of an offence punishable under this section except on a complaint made by or under the authority of the Lokayukta:

Provided further that the complaint made by or under the authority of the Lokayukta shall be exclusively tried by a court of sessions, which may take cognizance of the offence in such complaint without the complaint being committed to it, notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973.

Reports of Lokayukta

17. (1) If, after inquiry in respect, of a complaint, the Lokayukta is satisfied-
- (a) that no allegation or grievance has been substantiated, he shall close the case and intimate the competent authority concerned accordingly;
 - (b) that all or any of the allegations or grievances have or has been substantiated either wholly or partly, he shall, by report in writing, communicate his findings, appropriate recommendations and suggestions to the competent authority and intimate the complainant and the public servant concerned about his having made the report.
- (2) The competent authority shall cause the report to be examined and communicate to the Lokayukta within three months of the date of receipt of the report, the action taken thereon.
- (3) The Lokayukta shall present to the Governor a consolidated annual report on the administration of this Act.

(4) The Governor shall cause to be laid on the table of the State Legislature a copy of the annual report referred to in sub-section (3) above within six months of its receipt along with an explanatory memorandum indicating the action taken thereon, and the reasons for not taking action in a given case.

Power to issue interim direction

18. (1) The Lokayukta may, after receipt of a complaint, issue such interim direction as the case may warrant so as avoiding grave injustice.
- (2) The competent authority shall deal with the interim direction in the same manner as provided for final direction.

Staff of Lokayukta

19. (1) The Lokayukta may appoint in consultation with the State Government, such officers and staff as he may consider appropriate for the discharge of functions under this Act.
- (2) The categories of officers and staff who may be appointed under sub-section (1) above and their conditions of service shall be such as may be prescribed in consultation with the Lokayukta.

Utilization of services of other person

20. (1) Without prejudice to the provisions of sub-section (10) of section 19, the Lokayukta may, in consultation with the State Government, for the purpose of conducting any inquiry or investigation under this Act, utilize the services of any officer or investigating agency of the State Government, or for reasons to be recorded in writing, of any other person or agency.
- (2) Any officer, agency or persons whose services have been sought under sub-section

(1) may-

- (a) summon and enforce the attendance of any person and examine him;
- (b) require the production of any document; and
- (c) requisition any public record or copy thereof from any office.

(3) The officer, agency or person whose services have been sought under sub-section (1) shall enquire into the matter and submit a report to the Lokayukta within such period as may be specified by him in this behalf.

Secrecy of information

21. (1) Any information, obtained by the Lokayukta or members of his staff in the course of, or for the purposes of, any inquiry or investigation under this Act and any evidence recorded or collected in connection with such information, shall be treated as confidential and, notwithstanding anything contained in the Evidence Act, 1872, no court shall be entitled to compel the Lokayukta or any public servant to give evidence relating to such information or produce the evidence so recorded or collected.

(2) Nothing in sub-section (1) shall apply to the disclosure of any information or particulars-

- (a) for purposes of the inquiry or any report to be made thereon or for any action or proceedings to be taken on such report; or
- (b) for purposes of any proceedings for an offence under the Official Secrets Act, 1923, or an offence of giving or fabricating false evidence under the Indian Penal Code, 1860, or under sub-sections (1) and (3) of section 12 of this Act; or
- (c) for such other purposes as may be prescribed.

Protection of action taken in good faith

22. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Lokayukta or against any officer or employee, agency or person acting on his behalf in respect of anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

Powers to call for matters pending before State Government

23. (1) Where the Lokayukta decides to inquire into a complaint against a public servant, he may ascertain from the State Government whether any complaint containing substantially similar allegations against the said public servant is under investigation, and if so, he may call for the record thereof.

(2) If the Lokayukta, on examination of the record referred to in sub-section (1), decides to inquire into the matter himself, he shall inform the State Government accordingly and the complaint, wholly or partly, as the case may be, shall stand transferred to him for inquiry under the provisions of this Act.

(3) Whenever the Lokayukta decides not to inquire into the matter himself he shall return the complaint to the State Government.

Other remedies not barred

24. The institution of any inquiry or proceedings under this Act shall be no bar to a person seeking a remedy available under any other law, for the time being in force.

Repeal ,saving and overriding effect

25. (1) The Haryana Lokayukta act, 1997 (Haryana Act No. 21 of 1998) and the Haryana Lokayukta (Repeal) Ordinance, 1999 (Haryana Ordinance No. 4 of 1999), are hereby repealed.

(2) Notwithstanding anything contained in any contract, law or rules made thereunder, the Lokayukta shall not be entitled to any compensation for the unexpired period of his tenure.

(3) All matters pending before the Lokayukta before the repeal of the Haryana Act No. 21 of 1998 shall be inquired into by the Lokayukta under this Act.

Power to make rules

26. (1) the State Government may, by notification, in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the State Legislature while it is in session for a total period of ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the successive sessions and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the successive sessions aforesaid, the State Legislature agrees in making any modification in the rule or the State Legislature agrees that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

SCHEDULE

[See section 3(3)]

I, _____, having been appointed as Lokayukta of Haryana, do swear in the name of God/solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and I will, duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgement, perform the duties of my office without fear or favour, affection, bias or ill-will.

R.S.MADAN,

Secretary to Government Haryana,

Legislative Department.

**HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MARCH 14, 2003
(PHGN. 23, 1924 SAKA)**

भाग – I

विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 14 मार्च, 2003

संख्या लैज, 1/2003 — दि हरियाणा लोकायुक्त ऐक्ट, 2002, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की 11 मार्च, 2003, की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जायेगा :-

2003 का हरियाणा अधिनियम संख्या 1

हरियाणा लोकयुक्त अधिनियम, 2002

लोक सेवकों के विरुद्ध अभिकथनों तथा शिकायतों तथा उनसे सम्बद्ध
मामलों की जांच तथा छानबीन करने के लिए
लोकायुक्त की नियुक्ति तथा कृत्यों का
उपबन्ध करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो:-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम, 2002, कहा जा सकता है।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में होगा।
(3) यह ऐसी तिथि से लागू होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम करे।

**HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MARCH 14, 2003
(PHGN. 23, 1924 SAKA)**

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) “कार्य” से अभिप्राय है, किसी लोक सेवक द्वारा विनिश्चय, सिफारिश, या निष्कर्ष के रूप में या किसी अन्य रीति में की गई प्रशासनिक कार्यवाई और इसमें कार्य करने में जानबूझ कर असफलता तथा ऐसी कार्यवाई से सम्बन्धित सभी अन्य अभिव्यक्तियां शामिल होगी तथा तदनुसार उनका अर्थ लगाया जाएगा ;

(ख) किसी लोक सेवक के सम्बन्ध में, “अभिकथन” से अभिप्राय है, कोई भी अभिपुष्टि कि ऐसे लोक सेवक—

(i) ने स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को अनावश्यक लाभ पहुंचाने या पक्षपात करने के लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति को अनावश्यक कष्ट या क्षति पहुंचाने के लिए इस रूप में अपनी हैसियत का जानबूझ कर तथा साभिप्राय दुरुपयोग किया है ;

(ii) व्यक्तिगत हित या अनुचित या भ्रष्ट प्रयोजनों द्वारा ऐसे लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लगा हुआ था ; या

(iii) ऐसे लोक सेवक के रूप में अपनी हैसियत में भ्रष्टाचार का दोषी है, ईमानदारी में कमी है ; या

(iv) अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से असंगत साधन या सम्पत्ति उसके कब्जे में है तथा ऐसे आर्थिक साधन या सम्पत्ति लोक सेवक द्वारा व्यक्तिगत रूप में या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारण की गई है ;

(ग) “मुख्य मंत्री” से अभिप्राय है, मंत्री-परिषद् का मुखिया ;

(घ) निम्नलिखित के विरुद्ध किसी शिकायत के सम्बन्ध में “समक्ष प्राधिकारी” से अभिप्राय है —

(i) मुख्य मंत्री : अपने स्व-विवेक में राज्यपाल ;

(ii) सभी अन्य लोक सेवक : मुख्य मंत्री ;

(ङ) “शिकायत” से अभिप्राय है, कोई शिकायत, जिसमें किसी लोक सेवक द्वारा किया गया कोई अभिकथन या शिकायत का कृत्य अधिरोपित है ;

(च) “भ्रष्टाचार” में भारतीय दंड संहिता, 1860, के अध्याय IX के अधीन या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, अथवा भ्रष्टाचार निवारण के लिये तत्समय लागू किसी विधि के अधीन दण्डनीय कोई कृत्य शामिल है ;

(छ) “राज्यपाल” से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य का राज्यपाल ;

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MARCH 14, 2003
(PHGN. 23, 1924 SAKA)

(ज) "शिकायत" से अभिप्राय है, किसी व्यक्ति द्वारा दावा कि अधिकार जिसका वह हकदार है, उसे इन्कार किया जाता है या किसी लोक सेवक के कार्य की भूल-चूक या किसी कृत्य द्वारा अयुक्तियुक्त विलम्बित किया गया है या कार्य जिसकी शिकायत की गई है, कुप्रशासन की कोटि में आता है ;

(झ) "लोकायुक्त" से अभिप्राय है, धारा 3 के अधीन लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति ;

(ञ) "कुप्रशासन" से अभिप्राय है, कोई कार्य जो अन्यायपूर्ण, अनीतिपूर्ण, अयुक्तियुक्त, दमनपूर्ण, अनुचित, पक्षपातपूर्ण या विधि द्वारा समर्पित न हो ;

(ट) "मंत्री" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य के लिए मुख्य मंत्री से भिन्न मंत्री-परिषद् का कोई सदस्य, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, अर्थात् कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री तथा इनमें मुख्य संसदीय सचिव तथा संसदीय सचिव भी शामिल है ;

(ठ) "विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित ;

(ड) "लोक सेवक" से शामिल है, भारतीय दण्ड संहिता, 1860, की धारा 21 में परिभाषित कोई व्यक्ति तथा किसी ऐसे व्यक्ति से भी अभिप्राय है, जो निम्नलिखित है या रहा है—

(i) मुख्य मंत्री ;

(ii) कोई मंत्री ;

(iii) हरियाणा राज्य विधान मण्डल का कोई सदस्य, जिसमें शामिल हैं, हरियाणा विधान सभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ;

(iv) कंपनी अधिनियम, 1956, की धारा 617 के अर्थ के भीतर, किसी सरकारी कंपनी जिसमें राज्य सरकार द्वारा धारित किये गये समादत्त शेयर पूंजी का इक्यावन प्रतिशत से कम न हो, के निदेशक-बोर्ड का कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो ;

(v) राज्य सरकार द्वारा निगमित, रजिस्ट्रीकृत या गठित किसी कानूनी या अकानूनी निकाय का कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो ;

(vi) हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994, द्वारा या उसके अधीन गठित या गठित की गई समझी गई किसी नगर निगम का कोई महापौर, वरिष्ठ उप-महापौर, उप-महापौर ;

(vii) हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973, द्वारा या उसके अधीन गठित या गठित की गई समझी गई किसी नगरपालिका समिति या नगरपालिका परिषद् का कोई प्रधान, उप-प्रधान ;

(viii) हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994, द्वारा या उसके अधीन गठित किसी जिला परिषद् का कोई प्रधान, उप-प्रधान तथा किसी पंचायत समिति का कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ;

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MARCH 14, 2003
(PHGN. 23, 1924 SAKA)

(ix) तत्समय लागू सहकारी समितियों से संबंधित विधि के अधीन निगमित या रजिस्ट्रीकृत किसी समिति की किसी प्रबन्ध समिति का कोई प्रधान या उप-प्रधान ;

(x) तत्समय लागू सहकारी समितियों से संबंधित विधि द्वारा या उसके अधीन निगमित या रजिस्ट्रीकृत ऐसी अन्य सहकारी समितियों के निदेशक-बोर्ड का प्रधान, उप-प्रधान, प्रबन्ध निदेशक ;

(xi) किसी विश्वविद्यालय का कोई कुलपति या कोई प्रति कुलपति या कुल-सचिव ;

(ढ) "राज्य" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य ;

(ण) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार ;

लोकायुक्त की नियुक्ति

3. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार छानबीन संचालित करने के प्रयोजन के लिए, राज्यपाल अपने हस्ताक्षर तथा मोहर के अधीन वारंट द्वारा किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा, जो लोकायुक्त के रूप में जाना जाएगा ;

परन्तु लोकायुक्त मुख्य मंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाएगा जो हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष, विपक्ष के नेता तथा किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की दशा में, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है अथवा रह चुका है, भारत के मुख्य न्यायाधीश से तथा किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की दशा में, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है अथवा रह चुका है, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श करेगा ;

परन्तु यह और कि परामर्श का परिणाम आग्राही महत्व का होगा परन्तु मुख्य मंत्री पर बाध्य नहीं होगा।

(2) उप धारा(1) में यथा परिकल्पित किए गए परामर्श के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोई अधिसूचना इसका निश्चयक सबूत होगी।

(3) लोकायुक्त के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल, अथवा उसके द्वारा, इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष, अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये गये प्ररूप में प्रतिज्ञान की शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा।

लोकायुक्त के लिए योग्यतायें

4. कोई भी व्यक्ति, लोकायुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह भारत में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश नहीं है अथवा नहीं रह चुका है।

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MARCH 14, 2003
(PHGN. 23, 1924 SAKA)

लोकायुक्त का बोर्ड में अन्य पद धारण न करना

5. लोकायुक्त संसद का सदस्य अथवा किसी राज्य के विधानमण्डल का सदस्य नहीं होगा तथा लाभ अथवा दायित्व का कोई पद धारण नहीं करेगा अथवा कोई कारोबार नहीं चलाएगा अथवा कोई व्यवसाय नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल से सम्बद्ध नहीं होगा तथा तदनुसार, अपना पद धारण करने से पूर्व वह,

(क) यदि वह संसद अथवा किसी राज्य विधानमण्डल का सदस्य है, तो ऐसी सदस्यता से त्यागपत्र दे देगा अथवा

(ख) यदि वह लाभ अथवा दायित्व का कोई पद धारण किये हुये है, तो ऐसे पद से त्यागपत्र दे देगा अथवा

(ग) यदि वह किसी राजनैतिक दल से संबंधित है, तो उससे अपना सम्बन्ध तोड़ लेगा ; अथवा

(घ) यदि वह कोई कारबार चला रहा है, तो ऐसे कारबार के संचालन तथा प्रबन्ध से (स्वामित्व से अपने आप को अलग न करते हुए) अपना संबंध तोड़ लेगा ; अथवा

(ङ) यदि वह कोई व्यवसाय कर रहा है तो ऐसा व्यवसाय करना निलंबित कर देगा।

लोकायुक्त का कार्यकाल तथा सेवा की अन्य शर्तें

6. (1) लोकायुक्त के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, ऐसी तिथि से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा ;

परन्तु—

(क) लोकायुक्त राज्यपाल को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर के अधीन लिखकर, अपना पद त्याग सकता है तथा ऐसा त्याग पत्रा ज्योंहि स्वीकृत किया जाता है, त्योंहि प्रभावी होगा ; और

(ख) लोकायुक्त धारा 7 में विनिर्दिष्ट रीति में पद से हटाया जा सकता है।

(2) लोकायुक्त के पद से होने वाली कोई रिक्ति, तीन मास के भीतर भरी जाएगी।

(3) पद धारण की समाप्ति पर, लोकायुक्त राज्य सरकार के अधीन या राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण, सहकारी सोसायटी, सरकारी कंपनी, विश्वविद्यालय, कानूनी निगम के अधीन किसी भी हैसीयत में लोकायुक्त के रूप में पुनः नियुक्ति या किसी अन्य नियोजन के लिये अपात्र होगा।

**HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MARCH 14, 2003
(PHGN. 23, 1924 SAKA)**

(4) लोकायुक्त को भुगतानयोग्य वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी जो समय-समय पर उच्चतम न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश, जैसी भी स्थिति हो, को उसके द्वारा धारण किये गये पद के अनुसार उपलब्ध हों :

परन्तु लोकायुक्त को उपलब्ध वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाएं सौदेबाजी वाले नहीं होंगे :

परन्तु यह और कि लोकायुक्त को भुगतानयोग्य भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें, उसकी नियुक्ति के बाद, उसके अहित में परिवर्तित नहीं की जाएंगी।

(5) लोकायुक्त को, अथवा के सम्बन्ध में भुगतानयोग्य वेतना तथा भत्ते राज्य की संचित निधि से प्रभारित खर्च होगा।

लोकायुक्त का हटाया जाना

7. (1) लोकायुक्त को, सिवाये विधान सभा की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा तथा उसके उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा समर्थित, हरियाणा विधान सभा के अभिभाषण के बाद, पारित किये गये राज्यपाल के किसी आदेश द्वारा उसके पद से हटाया नहीं जाएगा जो साबित किये गये अवचार अथवा असमर्थता के आधार पर, ऐसे हटाये जाने के लिये उसी सत्र में राज्यपाल को प्रस्तुत किया गया हो।

(2) उप-धारा(1) के अधीन अभिभाषण को प्रस्तुत करने के लिये तथा लोकायुक्त के अवचार अथवा असमर्थता की छानबीन तथा सबूत के लिये प्रक्रिया वही होगी जो किसी न्यायाधीश को हटाये जाने के संबंध में न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968, में उपबंधित है, और, तदनुसार उस अधिनियम के उपबंध, आवश्यक उपान्तरणों के अधीन रहते हुये, लोकायुक्त के हटाए जाने के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे कि वे किसी न्यायाधीश के हटाए जाने के संबंध में लागू होते हैं।

मामला जिसकी लोकायुक्त द्वारा जांच पड़ताल की जा सकती है

8. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, लोकायुक्त सरकार से निर्देश प्राप्त होने पर, किसी लोक सेवक के विरुद्ध लगाए गए अभिकथनों अथवा शिकायतों की जांच करेगा।

(2) लोकायुक्त किसी लोक सेवक के विरुद्ध अवचार के किसी अभिकथन में उसकी जांच के प्रयोजन के लिये जहां तक वह ऐसा करना आवश्यक समझता है किसी लोक सेवक से भिन्न किसी व्यक्ति के किसी कार्य या आचरण की जांच कर सकता है परन्तु लोकायुक्त ऐसे व्यक्ति को युक्तियुक्त सुनवाई का तथा अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देगा।

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MARCH 14, 2003
(PHGN. 23, 1924 SAKA)

मामलों का जांच के अधीन न होना

9. लोकायुक्त किसी ऐसे मामले की जांच नहीं करेगा, —
- (क) जिसके संबंध में लोक सेवक (जांच) अधिनियम, 1850 के अधीन जांच करने के आदेश दिये गये हैं ; अथवा
- (ख) जो ऐसे व्यक्ति के, जिसके विरुद्ध अभिकथन किया गया है, लोक सेवक के रूप में कृत्यों के निर्वहन से सम्बद्ध नहीं है ; अथवा
- (ग) "कुप्रशासन की शिकायत" से संबंधित कोई प्रशासनिक कार्य जिसमें स्वविवेक का प्रयोग अन्तर्वलित है, सिवाय जहां उसकी संतुष्टि हो गई कि स्वविवेक के प्रयोग में अन्तर्वलित तत्व ऐसी सीमा तक अनुपस्थित थे कि स्वविवेक का सही प्रयोग नहीं किया जा सकता था या भ्रष्टाचार के लिये किया गया था।

शिकायतों संबंधित उपबन्ध

10. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुये, इस अधिनियम के अधीन कोई शिकायत लोकायुक्त को की जा सकती है —
- (क) व्यथित व्यक्ति द्वारा शिकायत की दशा में ;
- (ख) किसी व्यक्ति द्वारा अभिकथन की दशा में ;
- परन्तु जहां व्यथित व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, अथवा किसी कारण से, अपने लिये कार्य करने में असमर्थ है, वहां शिकायत किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जा सकती है जो, यथास्थिति, विधिक रूप से उसकी सम्पदा का प्रतिनिधित्व करता है या कोई भी व्यक्ति जो उसकी ओर से कार्य करने के लिए अनुज्ञात है।
- (2) किसी अभिकथन या व्यथा वाली प्रत्येक शिकायत, ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति में की जाएगी तथा ऐसे शपथ-पत्र सहित होगी, जैसा विहित किया जाए।
- (3) इस अधिनियम अथवा उस समय लागू किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, पुलिस अभिरक्षा में या किसी जेल में या किसी आशय में अथवा किसी अन्य अभिरक्षित स्थान में किसी व्यक्ति द्वारा लोकायुक्त को लिखा गया कोई पत्र, पुलिस अधिकारी अथवा ऐसी जेल, आश्रम अथवा किसी अन्य अभिरक्षित स्थान के भारसाधक व्यक्ति द्वारा बिना बोले तथा बिना विलम्ब लोकायुक्त को अग्रेषित किया जाएगा। यदि लोकायुक्त की संतुष्टि हो जाती है, कि ऐसा करना आवश्यक है, तो ऐसे पत्र को उप-धारा(2) के उपबन्धों के अनुसार की गई शिकायत के रूप में मान लेगा।

**HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MARCH 14, 2003
(PHGN. 23, 1924 SAKA)**

प्रारंभिक जांच के लिए उपबंध

11. लोकायुक्त, किसी शिकायत के प्राप्त होने पर, ऐसी शिकायत या मामले की छानबीन करने की कार्यवाही से पूर्व, ऐसी छानबीन के संचालन को सुनिश्चित करने के लिये कि क्या ऐसी जांच के लिये युक्तियुक्त आधार विद्यमान हैं, ऐसी प्रारंभिक जांच कर सकता है अथवा किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दे सकता है, जो वह ठीक समझे। यदि ऐसी प्रारंभिक जांच पर, उसे लगता है कि ऐसा कोई आधार विद्यमान नहीं है तो वह उस प्रभाव का निर्णय अभिलिखित करेगा तथा उस पर मामला बन्द कर दिया जाएगा तथा शिकायतकर्ता को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

जांच के संबंध में प्रक्रिया

12. (1) उप-धारा (2) में दिए गए उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लोकायुक्त, जांच या छानबीन के संचालन के लिये स्वयं अपनी प्रक्रिया सोचेगा किन्तु ऐसा करते हुये यह सुनिश्चित करेगा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार है।

(2) लोकायुक्त एक वर्ष के भीतर शिकायत की जांच करेगा।

(3) अधिनियम के अधीन प्रत्येक जांच, जब तक लोकायुक्त कारण अभिलिखित करते हुये अन्यथा विनिश्चित नहीं करता, बंद कमरे में संचालित की जाएगी।

अभिलेख मंगवाने की शक्ति

13. लोकायुक्त को उसके द्वारा जिम्मे ली गई लोक सेवक के विरुद्ध किसी जांच या छानबीन के सम्बन्ध में, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, निगम, सरकारी कम्पनी, सोसाइटी, विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अथवा संघटन किसी महाविद्यालय या किसी अन्य व्यक्ति से रिकार्ड को मांगने की शक्ति होगी :

परन्तु भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, या भारतीय शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923, के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकार सुरक्षा के आधार पर या लोकहित में राज्य के मामलों से संबंधित किसी रिकार्ड या दस्तावेज को प्रस्तुत करने से रोक सकती है।

**HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MARCH 14, 2003
(PHGN. 23, 1924 SAKA)**

साक्ष्य

14. (1) इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी जांच अथवा छानबीन के प्रयोजन के लिए, लोकायुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, -

(क) किसी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति से, जो, उसकी राय में, ऐसी जांच से संगत सूचना देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने में समर्थ है, किसी ऐसी सूचना देने या ऐसे किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है;

(ख) किसी भूमि पर प्रवेश कर सकता है तथा सर्वेक्षण, सीमांकन कर सकता है या उसका नक्शा तैयार कर सकता है ;

(ग) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय, निम्नलिखित मामलों में सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, अर्थात् :-

(i) किसी व्यक्ति को बुलाने तथा उसकी उपस्थिति को बाध्य करने तथा उसकी शपथ पर परीक्षण करने ;

(ii) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण की अपेक्षा तथा प्रस्तुत करने ;

(iii) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करने ;

(iv) किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करने ; और

(v) गवाहों या दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करने।

परन्तु कोई भी व्यक्ति, समुचित सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना, इस अधिनियम में दिए गए उपबंधों के आधार पर किसी ऐसी सूचना देने या किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने या किसी दस्तावेज को ऐसे प्रस्तुत करने जिससे कि किसी सूचना का प्रकटीकरण हो या किसी दस्तावेज को पेश करने जो शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923, के उपबंधों के अधीन दंडनीय हो, अपेक्षित नहीं होगा अथवा प्राधिकृत नहीं किया जाएगा।

(2) लोकायुक्त के समक्ष कोई कार्यवाही, भारतीय दंड संहिता, 1860, की धारा 193 तथा धारा 228 के अर्थ के भीतर न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी।

तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति

15. (1) जहां लोकायुक्त के पास जानकारी होने के फलस्वरूप या ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, -

(क) यह विश्वास करने के कारण हैं कि कोई व्यक्ति -

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MARCH 14, 2003
(PHGN. 23, 1924 SAKA)

(i) जिसे इस अधिनियम के अधीन कोई समन या नोटिस, जारी किया गया है या जारी किया जा सकता है, लोकायुक्त द्वारा संचालित किसी जांच या अन्य कार्यवाहियों के लिए आवश्यक या उपयोगी या उससे संबंधित किसी सम्पत्ति, दस्तावेज या वस्तु पेश नहीं करेगा या उसे पेश नहीं करवाएगा ;

(ii) जिसके कब्जे में, कोई धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज है तथा ऐसे धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज से पूर्णतः या अंशतः आय निरूपित होती है या ऐसी सम्पत्ति है जिसका कि किसी प्रवृत्त विधि या नियम के प्रयोजन के लिए प्रकटीकरण किया जाना अपेक्षित है, किन्तु ऐसा प्रकटीकरण नहीं करता है ;

(ख) लोकायुक्त यह समझता है कि उसके द्वारा संचालित की जाने वाली किसी जांच या अन्य कार्यवाहियों के प्रयोजनों की पूर्ति आम तलाशी या निरीक्षण द्वारा की जाएगी, तो लोकायुक्त तलाशी वारण्ट जारी कर सकेगा तथा वह या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति उस तलाशी वारण्ट द्वारा –

(i) किसी भवन या स्थान में प्रवेश कर सकेगा तथा उसकी तलाशी ले सकेगा जहां उसे संदेह पैदा होता है कि ऐसी सम्पत्ति, दस्तावेज, धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज उक्त भवन या स्थान में रखी गई है ;

(ii) उप खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी दरवाजे, सन्दूक, लाकर, सेफ, अलमारी या अन्य आधान-पात्र का जिसकी चाबियां उपलब्ध न हों, ताला तोड़ सकेगा ;

(iii) ऐसी तलाशी करने पर पाई गई किसी सम्पत्ति, दस्तावेज, धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज का अभिग्रहण कर सकेगा ;

(iv) किसी सम्पत्ति या दस्तावेज पर पहचान चिह्न लगा सकेगा या उसके उद्धरण या प्रतियां तैयार कर सकेगा या करवा सकेगा ; या

(v) ऐसी किसी सम्पत्ति, दस्तावेज, धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज पर टिप्पणी कर सकेगा या उसकी तालिका तैयार कर सकेगा ।

(2) जहां तक हो सके, उप-धारा(1) के अधीन तलाशी के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, कि धारा 100 के उपबन्ध लागू होंगे ।

(3) उप-धारा(1) के अधीन जारी किया गया वारण्ट दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, की धारा 93 के अधीन न्यायालय द्वारा जारी किया गया वारण्ट समझा जाएगा ।

**HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MARCH 14, 2003
(PHGN. 23, 1924 SAKA)**

झूठी तथा विद्वेषपूर्वक शिकायतों के लिए दण्ड

16. इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर या विद्वेषपूर्वक इस अधिनियम के अधीन कोई झूठी शिकायत करता है दोषसिद्धि पर, कठोर कारावास से, जो तीन वर्ष तक हो सकता है अथवा जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक हो सकता है अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा और न्यायालय आदेश दे सकता है कि जुर्माने की राशि में से ऐसी राशि, जो वह ठीक समझे, उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध ऐसी शिकायत की गई थी, प्रतिकर के रूप में भुगतान की जाएगी ;

परन्तु कोई भी न्यायालय लोकायुक्त के प्राधिकार द्वारा या के अधीन की गई किसी शिकायत के सिवाए इस धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या संज्ञान नहीं लेगा ;

परन्तु यह और कि लोकायुक्त के प्राधिकार द्वारा अथवा के अधीन की गई शिकायत का विचारण केवल सत्र न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, में दी गई किसी बात से होते हुए भी उसको शिकायत किए जाने के बिना भी, ऐसी शिकायत में अपराध का संज्ञान ले सकता है।

लोकायुक्त की रिपोर्ट

17. (1) यदि, लोकायुक्त की, किसी शिकायत में संबंध में, जांच के बाद संतुष्टि हो जाती है कि –
(क) कोई भी अभिकथन अथवा शिकायत सिद्ध नहीं हुई है, तो वह मामले को बन्द कर देगा तथा तदानुसार सम्बद्ध सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगा ;

(ख) अभिकथनों अथवा शिकायतों में से सभी अथवा कोई या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सिद्ध हुए हैं या हुआ है, तो वह लिखित रूप में रिपोर्ट द्वारा उचित सिफारिशों तथा सुझाव सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगा तथा अपने द्वारा की गई रिपोर्ट के संबंध में सम्बद्ध शिकायतकर्ता तथा लोक सेवक को सूचित करेगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी रिपोर्ट का परीक्षण करवाएगा तथा उस पर की गई कार्यवाई के बारे में, रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि से तीन मास के भीतर लोकायुक्त को संसूचित करेगा।

(3) लोकायुक्त इस अधिनियम के प्रशासन पर एक समेकित वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा।

(4) राज्यपाल उपरोक्त उप-धारा(3) में निर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति उस पर की गई कार्यवाई तथा दिए गए मामले में कार्यवाई न करने के कारणों को दर्शाते हुए एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित इसकी प्राप्ति के छह मास के भीतर राज्य विधान-मण्डल के पटल पर रखवाएगा।

**HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MARCH 14, 2003
(PHGN. 23, 1924 SAKA)**

अन्तरिम निर्देश जारी करने की शक्ति

18. (1) लोकायुक्त, शिकायत की प्राप्ति के बाद, घोर अन्याय के परिहार्य के लिए, ऐसे अनन्तरिम निर्देश जारी कर सकता है, जैसा कि मामले में न्याय संगत हो।

(2) सक्षम प्राधिकारी अन्तरिम निर्देश पर उसी रीति में कार्यवाही करेगा जैसा अन्तिम निर्देश के लिए उपबन्धित है।

लोकायुक्त का अमला

19. (1) लोकायुक्त, राज्य सरकार के परामर्श से ऐसी अधिकारियों तथा अमले को नियुक्त करेगा जिसे वह अधिनियम के अधीन कर्तव्यों के निर्वहन के लिए समूचित समझें।

(2) अधिकारियों तथा अमले का प्रवर्ग जो ऊपर उप-धारा(1) के अधीन नियुक्त किया जा सकता है तथा उनकी सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो लोकायुक्त के परामर्श से विहित की जाएं।

अन्य व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग

20. (1) धारा 19 की उप-धारा(1) के उपबन्धों पर प्रतिकृत प्रभाव डाले बिना लोकायुक्त, राज्य सरकार के परामर्श से, इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या छानबीन के संचालन के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार के किसी अधिकारी अथवा जांच अभिकरण, अथवा लिखित रूप में कारण अभिलिखित करते हुए, किसी अन्य व्यक्ति या अभिकरण की सेवाओं का उपयोग कर सकता है।

(2) कोई अधिकारी, अभिकरण अथवा व्यक्ति जिनकी सेवाएं उप-धारा(1) के अधीन चाही गई हैं —

(क) किसी व्यक्ति को बुला सकता है तथा उपस्थिति बाध्य कर सकता है तथा उसका परीक्षण कर सकता है ;

(ख) किसी दस्तावेज की प्रस्तुति की अपेक्षा कर सकता है ; और

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख अथवा उसकी प्रति की मांग कर सकता है।

(3) अधिकारी, अभिकरण अथवा व्यक्ति जिसकी सेवाएं उप-धारा(1) के अधीन चाही गई हैं मामले की जांच करेंगे तथा ऐसी अवधि के भीतर जो इस निमित्त उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, लोकायुक्त की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

**HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MARCH 14, 2003
(PHGN. 23, 1924 SAKA)**

सूचना की गोपनीयता

21. (1) इस अधिनियम के अधीन किसी जांच-पड़ताल अथवा छानबीन के अनुक्रम में अथवा प्रयोजन के लिए, लोकायुक्त अथवा उसके अमले के सदस्यों द्वारा प्राप्त की गई कोई सूचना, तथा ऐसी सूचना के संबंध में अभिलिखित किया गया अथवा एकत्रित किया गया कोई साक्ष्य गोपनीय समझा जाएगा, तथा साक्ष्य अधिनियम, 1872, में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कोई भी न्यायालय लोकायुक्त अथवा किसी लोक सेवक को ऐसी सूचना में संबंधित साक्ष्य देने अथवा इस प्रकार अभिलिखित किए गए अथवा एकत्रित किए गए साक्ष्य को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने का हकदार नहीं होगा।

(2) उप-धारा(1) की कोई भी बात, निम्नलिखित के लिए किसी सूचना अथवा विवरणों के प्रकटीकरण को लागू नहीं होगी —

(क) जांच-पड़ताल अथवा उस पर तैयार की जाने वाली किसी रिपोर्ट अथवा ऐसी रिपोर्ट पर की जाने वाली किसी कार्रवाई अथवा किन्हीं कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए; अथवा

(ख) शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923, के अधीन किसी अपराध के लिए किन्हीं कार्यवाहियों अथवा भारतीय दण्ड संहिता, 1860, के अधीन अथवा इस अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा(1) तथा (3) के अधीन मिथ्या साक्ष्य देने अथवा गढ़ने के किसी अपराध के प्रयोजनों के लिए ; अथवा

(ग) ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए जो विहित किए जाएं।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण

22. लोकायुक्त के विरुद्ध अथवा उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी, अभिकरण अथवा व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई अथवा की जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में कोई वाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।

राज्य सरकार के समक्ष लम्बित मामलों को मांगने की शक्ति

23. (1) जहां लोकायुक्त, किसी लोक सेवक के विरुद्ध किसी शिकायत की जांच पड़ताल करने का निर्णय करता है, वहां वह राज्य सरकार से अभिनिश्चित कर सकता है कि क्या उक्त लोक सेवक के विरुद्ध सारभूत रूप से समरूप अभिकथनों की कोई शिकायत छानबीन के अधीन हैं, और यदि ऐसा है, तो वह उसका अभिलेख मंगवा सकता है।

(2) यदि लोकायुक्त, उप-धारा(1) में निर्दिष्ट अभिलेख के परीक्षण पर, स्वयं मामले की जांच-पड़ताल करने का निर्णय लेता है, तो वह तदनुसार राज्य सरकार को सूचित करेगा तथा शिकायत पूर्णतः

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MARCH 14, 2003
(PHGN. 23, 1924 SAKA)

अथवा अंशतः, जैसी भी स्थिति हो, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जांच-पड़ताल के लिए उसका हस्तान्तरित की गई समझी जाएगी।

(3) जब कभी लोकायुक्त स्वयं मामले की जांच न करने का निर्णय लेता है, तो वह शिकायत को राज्य सरकार को लौटा देगा।

अन्य उपचारों का वर्जित न किया जाना

24. इस अधिनियम के अधीन किसी जांच अथवा कार्यवाहियों का संस्थापन, उस समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन उपलब्ध उपचार चाहने वाले किसी व्यक्ति के लिए, कोई रोक नहीं होगी।

निरसन, व्यावृत्ति तथा अध्यारोही प्रभाव

25. (1) हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम, 1997 (1998 का हरियाणा अधिनियम संख्या 21) तथा हरियाणा लोकायुक्त (निरसन) अध्यादेश, 1999 (1999 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 4), इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं।

(2) किसी संविदा, विधि या उनके अधीन बनाए गए नियमों में, दी गई किसी बात के होते हुए भी, लोकायुक्त, अपने कार्यालय की शेष अवधि के लिए किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(3) 1998 का हरियाणा अधिनियम संख्या 21 के निरसन से पूर्व लोकायुक्त के सम्मुख सभी लम्बित मामलों की, इस अधिनियम के अधीन लोकायुक्त द्वारा जांच की जाएगी।

नियम बनाने की शक्ति

26. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्य रूप देने के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर दस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में या दो या अधिक क्रमवर्ती सत्रों में पूरी हो सकती है, और यदि उस सत्र की, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया हो, या पूर्वोक्त क्रमवर्ती सत्रों की, समाप्ति से पूर्व सदन उस नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाती है या सदन सहमत हो जाता है कि यह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् यह नियम, यथास्थिति, केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा, किन्तु ऐसा कोई उपांतरण या निष्प्रभावन उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

**HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MARCH 14, 2003
(PHGN. 23, 1924 SAKA)**

**अनुसूची
(देखिए धारा 3(3))**

मैं, हरियाणा के लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किए जाने पर, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य—निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा मैं, सम्यक् रूप से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवके से अपने पद के कर्तव्यों का, भय या पक्षपात, स्नेह, पूर्वग्रह या द्वेष के बिना पालन करूंगा।

आर. एस. मदान,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधायी विभाग।